

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग


अधिसूचना

पटना-15, दिनांक : 10 सितम्बर, 2017

संख्या-1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र0-11660/श्री आनन्द शर्मा, भा0प्र0से0(2013), अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री आनन्द शर्मा, भा0प्र0से0 (2013) को अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर, पटना का पद धारण किये जाने की तिथि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत पटना सदर अनुमंडल के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है। साथ ही, उन्हें पटना जिला में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(विमलेश कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र0-11660/पटना-15, दिनांक:10 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा- आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/ महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली /मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित जिला पदाधिकारी /अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु) /सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 06 एवं 12 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(विमलेश कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।